राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांकः–प.1(क)( )कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./24/ 611 दिनांकः– 22/01/24

परिपत्र

विषयः–समस्त राजसेवकों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.13(76) कार्मिक/क–1/गो.प्र./2021/02463 दिनांक 26.12.2023 द्वारा निर्देशित किया गया है कि राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2023 (01 जनवरी 2024 की स्थिति में) का अचल सम्पत्ति विवरण दिनांक 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना है।

अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑन–लाईन नहीं भरनें की स्थिति में विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑन–लाईन नहीं भरनें वाले राजसेवकों की पदोन्नति उपरांत पदोन्नति आदेश तब तक जारी न हीं किये जायेगे, जब तक कि अचल सम्पति विवरण ऑन–लाईन नहीं भरा जावेगा। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशाषी संस्थाओं व उपक्रमों पर लागू होगा।

अतः कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग राजस्थान सरकार के उक्त परिपत्र के क्रम में राजस्थान नगरपालिका सेवा के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना SSO-ID से लॉग इन कर राज–काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन–लाईन IPR अनिवार्य रूप से दिनांक 31.01.2024 तक भरना सुनिश्चित किया जावें। अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑन–लाईन नहीं भरने की स्थिति में भविष्य में विजीलेंस क्लीयरेंस नहीं दी जावेगी व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अचल सम्पत्ति विवरण की सूचना ऑन–लाईन नहीं भरने वाले राजसेवकों की पदोन्नति उपरांत पदोन्नति आदेश भी जारी नहीं किये जा सकेंगे।

इसे अत्यावश्यक समझा जावें।

(सुरेश कुमार ओला)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :प.1(क)( )कार्मिक / आर.एम.एस. / डी.एल.बी / 24 / 612 - 1210 दिनांक : 22/01/24

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0शा0 विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वा0शा0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान
5. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका, समस्त राजस्थान।
6. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
7. सुरक्षित पत्रावली

(चाँद मल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक